

19.01.18

वकील अपीलान्ट का स्वयं अपीलान्ट कोई उपोध्यत
नहीं है। ऊपी-का बार-बार कावार्ज दिमाई
जई। ऊपी. की ओर से कोई उपोध्यत नहीं आया
ऊपील अपीलान्ट अदम हाजरी व अदम पेशवी
में खारिज की जाती है। पत्रावली फेंसल शुभर
होकर बाद तकमील जाब्ता बालील दफ्तर हों।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर